छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – M-PRO-2022-01711

आवेदक : श्रीमती शिखा शुक्ला, पति–स्व. श्री एल.डी. शुक्ला, विरूद्ध(1) उषा प्राईड मेन रोड मोवा, (02) ब्राण्ड क्रियेशन, सिविल लाईन रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/09/2022	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदिका–श्रीमती शिखा शुक्ला, पति–स्व. एल.डी. शुक्ला, निवासी–मकान नं.–66, कैपिटल होम्स, अंबुजा मॉल के पीछे, सड्डू, जिला–रायपुर (छ.ग.) ने अनावेदक (01) उषा प्राईड, मेन रोड, मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग.), (02) ब्राण्ड क्रियेशन्स पता–लहेजा सदन, राज भवन चौक, सिविल लाईन, जिला–रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध शिकायत आवेदन परिवाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि उसके पति स्व. श्री एल.डी. शुक्ला ने अनावेदक क्रमांक–01 के निर्माणाधीन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ''उषा शापर्स प्राईड'' के चतुर्थ तल पर शॉप नं.–18 को अनावेदक क्रमांक–2 के माध्यम से प्रथम बुकिंग राशि 1000/– दिनाँक 23/02/2013 को भुगतान कर बुक कराया था। साथ ही आवेदिका ने उसके पति द्वारा समय–समय पर अनावेदकगण द्वारा की गई माँग के अनुरूप राशि का भुगतान करने का लेख करते हुये रसीद प्रस्तुत की है। आवेदिका के अनुसार उसके पति स्व. श्री एल.डी. शुक्ला का दिनाँक 05/05/2021 को निधन हो चुका है और वर्तमान में उनके विधिक वारिसान आवेदिका (पत्नी) एवं दो संतान–अक्षत शुक्ला 12 वर्ष व आदित्य शुक्ला 10 वर्ष है। आवेदिका ने यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदगण को उक्त शॉप नं.–18 के संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान करने के बावजूद भी आवेदिका के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर आधिपत्य प्रदान नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा सुनवाई उपरांत प्रकरण को दिनाँक29/09/2022 को आदेश हेतु नियत किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का प्रथम दृष्टया अवलोकन किया गया। हॉलाकि आवेदिका ने स्वयं को व अपने बच्चों को अपने स्व. पति का विधिक वारिसान बताया है। लेकिन आवेदिका ने उक्त कथन के समर्थन में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि आवेदिका विधवा महिला है; अतः न्यायहित में उक्त संबंध में समुचित साक्ष्य मँगाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः शिकायत का गुणदोष पर निराकरण किये बिना	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक – M-PRO-2022-01711

आवेदक : श्रीमती शिखा शुक्ला, पति–स्व. श्री एल.डी. शुक्ला, विरूद्ध(1) उषा प्राईड मेन रोड मोवा, (02) ब्राण्ड क्रियेशन, सिविल लाईन रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा–36 अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदिका को स्व. श्री एल.डी. शुक्ला के विधिक वारिसान संबंधी अपने अभिकथन को प्रमाणित करने हेतु दो माह के भीतर, सारवान् अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। – प्रकरण दिनाँक 30/09/2022 को सुनवाई हेतु नियत। – अंतरिम आदेश की प्रति वेबपोर्टल पर अपलोड कर उभय पक्षों को पेशी तिथि की सूचना दी जावे। सही/– (विवेक ढाँड) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – M-PRO-2022-01711

आवेदक : श्रीमती शिखा शुक्ला, पति–स्व. श्री एल.डी. शुक्ला, विरूद्ध(1) उषा प्राईड मेन रोड मोवा, (02) ब्राण्ड क्रियेशन, सिविल लाईन रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – M-PRO-2022-01711

आवेदक : श्रीमती शिखा शुक्ला, पति–स्व. श्री एल.डी. शुक्ला, विरूद्ध(1) उषा प्राईड मेन रोड मोवा, (02) ब्राण्ड क्रियेशन, सिविल लाईन रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर